न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 69/2023

पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व नाम दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) शाखा कार्यालय—302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम0आई0 रोड, जयपुर अधिकृत अधिकारी विक्रम सिंह राठौड

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री लल्लू प्रसाद मीना पुत्र श्री ईश्वर प्रसाद मीना,
   आवासीय पता—ग्राम रूपपुरा पोस्ट होदायली तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
   कार्यालय पता—राजकीय प्राईमरी स्कूल, लालसोट जिला दौसा राज0
   सम्पत्ति पता— खसरा नंबर 4003/453 अमरनाथ कॉलोनी, खटवा रोड, लालसोट जिला दौसा।

....ऋणी

2. श्रीमती धनवंती देवी मीना,
   आवासीय पता—ग्राम रूपपुरा पोस्ट होदायली तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 ऋणी/जमानती से बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा लेकर कम्पनी को दिलाने बाबत।

उपस्थित : श्री महेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

<u>आदेश</u> दिनांक: 06.09.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व नाम दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने अप्रार्थी/ऋणी श्री लल्लू प्रसाद मीना पुत्र श्री ईश्वर प्रसाद मीना को 22,90,636/—(रूपये बाईस लाख नब्बे हजार छः सौ छत्तीस मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व नाम दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को सुना गया। हमने प्रार्थी पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व नाम दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड)

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व नाम दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुत ाबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति खसरा नंबर 4003/453 अमरनाथ कॉलोनी, खटवा रोड, लालसोट जिला दौसा में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 133.33 वर्गगज है जो श्री लल्लू प्रसाद मीना के नाम से है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व नाम दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06 सितम्बर, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा